



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161935

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7820/2026

फरहान खान

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आरफ खान, लिहाजुर रहमान खान

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सानिध्य पाण्डेय, जिनका वकालतनामा आज दाखिल किया गया है, को भी सुना, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 297 वर्ष 2026, धारा 69, 351(2) बी.एन.एस., थाना रामगढ़, जनपद फिरोजाबाद में उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 माह के विलंब के पश्चात् दर्ज की गई है, जिसका उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कथित घटना दिनांक 7.6.2025 को घटित हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.5.2026 को दर्ज की गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि सूचनाकर्ता-पीड़िता द्वारा एक झूठी एवं तुच्छ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि विवाह के झूठे वादे पर उसके साथ बलात्कार किया गया। यह पीड़िता का स्वीकृत प्रकरण है कि वह बालिग लड़की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थी, जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। पीड़िता द्वारा दावा किया गया है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय उसकी आयु लगभग 28 वर्ष थी। पीड़िता पिछले आठ वर्षों से आवेदक के संपर्क में थी और इस अवधि के दौरान दोनों के बीच सहमति से संबंध रहे। आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का परिणाम है और संबंधों में कटुता आने के समय इसे दर्ज कराया गया। पीड़िता का कथन लगातार बदलता रहा है और अभियोजन के प्रकरण में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।

4- विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आठ वर्षों की इस दीर्घ अवधि के दौरान पीड़िता ने आवेदक द्वारा उसके साथ किए गए कथित यौन शोषण के संबंध में तब तक पूर्णतः मौन साधे रखा, जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हो गया कि आवेदक उससे विवाह नहीं करने वाला है। इसके अतिरिक्त, प्रथम कथित यौन संबंध तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक आठ वर्षों तक निरंतर संबंध बने रहने के बीच का लंबा अंतराल यह स्पष्ट करता है कि मामला प्रेम संबंध से संबंधित है। जब संबंधों में कटुता आ गई, तब पीड़िता द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध के प्रकरण को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है।

5- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यों के पहलू पर विवाद नहीं किया है।

7- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

8- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



डराना-धमकाना भी शामिल है, की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ देना आदि पर विचार करना होता है। आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा उसे अस्वीकार किया जाए, इस पर विचार करते समय सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है।

9- सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी का अवसर तब उत्पन्न होता है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो जाती है अथवा यह कोई जघन्य अपराध हो या जहां साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अकल्पनीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10- महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2024) 11 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 398 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जहां किसी महिला द्वारा किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध जानबूझकर बनाए रखा जाता है, वहां निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल विवाह के कथित वादे के कारण था। किसी महिला के पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद जैसे विवाह के वादे के अतिरिक्त भी शारीरिक संबंध बनाए रखने के अन्य कारण हो सकते हैं।

11- प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, (2025) 5 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 764 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह समझ से परे है कि शिकायतकर्ता अपनी स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ लंबे समय तक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12- इसके अतिरिक्त, **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अनेक अवसरों पर उस चिंताजनक प्रवृत्ति का संज्ञान लिया गया है, जिसमें असफल अथवा टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रूप दे दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, केवल उन्हीं प्रकरणों में आरोपित किया जाना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, बलपूर्वकता अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक कटु संबंध को बलात्कार के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को कमतर करता है, बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक तथा गंभीर अन्याय भी आरोपित करता है। ऐसे उदाहरण मात्र व्यक्तिगत मतभेद के क्षेत्र से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है, जो पहले से ही भारी कार्यभार का सामना कर रही है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

13- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, 2025 (4) एससीसी 197** में अभिनिर्धारित किया है कि जहां कोई महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक स्वेच्छा से संबंध रखती है, उसके स्वरूप से पूर्णतः अवगत होते हुए संबंध बनाए रखती है और यह दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि ऐसा संबंध तथ्य के संबंध में किसी भ्रम अथवा प्रारंभ से ही दुर्भावना से किए गए विवाह के झूठे वादे से प्रेरित था, वहां उस पुरुष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

14- **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 154** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के अंतर्गत दर्ज किए गए वास्तविक प्रकरणों की पहचान करने में अत्यंत सावधान एवं सतर्क रहना होगा तथा उक्त अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्वों की पहचान करनी होगी। ऐसे वास्तविक प्रकरणों को उन मुकदमों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए, जो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों में विवाद एवं मतभेद अथवा बाद में मन बदल जाने के कारण कटुता उत्पन्न होने से उत्पन्न होते हैं।

15- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1055** के प्रकरण में टिप्पणी की है कि यदि दो समझदार वयस्क लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सहमति वाला संबंध चुना था और बाद में विवाह के वादे को पूरा न किया जाना किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।

16- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2019)**

9 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 608 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया कि जहां विवाह करने का वादा झूठा है और वादा करने वाले व्यक्ति की वादा करते समय ही उसे निभाने की मंशा नहीं थी, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए राजी करना था, वहां ऐसी "तथ्य के संबंध में भ्रम" की स्थिति उत्पन्न होती है, जो महिला की "सहमति" को दूषित कर देती है। तथापि, मात्र वादे का उल्लंघन झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। अतः झूठे वादे को स्थापित करने के लिए यह प्रदर्शित करना होगा कि वादा करने वाले व्यक्ति की वादा करते समय अपने शब्द को निभाने की कोई मंशा नहीं थी।

17- **सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2021) 18 एससीसी 517** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कार्यवाही को यह देखते हुए निरस्त कर दिया कि अभियुक्त एवं पीड़िता के बीच संबंध सहमति की प्रकृति का था और पक्षकार डेढ़ वर्ष की अवधि से संबंध में थे तथा बाद में अभियुक्त ने अभियोजिका से विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त की, जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

18- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, 2025 7 सर्वोच्च 489** के प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त कर दी, जिसमें पीड़िता ने स्वयं को नाबालिग लड़की बताया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके बालिग होने के पश्चात् उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी। अभिनिर्धारित किया गया कि विवाह का वादा तथा दोनों के बीच सहमति से उसके पश्चात् बनाए गए शारीरिक संबंध बलात्कार के समान नहीं होंगे। **कुणाल चटर्जी (उपर्युक्त)** का निर्णय संक्षिप्त है, अतः संपूर्ण निर्णय निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"अनुमति प्रदान की गई।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 376, 506 को धारा 34 के साथ पठित तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक प्रकरण में अभियुक्त है। शिकायत अभियोजिका द्वारा की गई है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के समय बालिग थी, किन्तु उसका आरोप है कि वह नाबालिग थी और उसकी आयु 15 वर्ष थी, अर्थात् तीन वर्ष से अधिक पूर्व, जब अपीलकर्ता और अभियोजिका के बीच

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सहमति से संबंध था और अपीलकर्ता द्वारा उससे विवाह करने का वादा किए जाने के बाद शिकायतकर्ता इस संबंध में रहने के लिए सहमत हुई थी। बालिग होने के पश्चात् अपीलकर्ता अपने वादे से मुकर गया और वर्तमान अपीलकर्ता के माता-पिता द्वारा अभियोजिका को अपमानित किया गया। इस प्रकार, अभियोजिका न केवल अपीलकर्ता, बल्कि उसके पिता, माता और चाचा के विरुद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विवश हुई। यह अभियोजन का प्रकरण है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का सार यह है कि वह उस समय संबंध में थी जब वह नाबालिग थी और उसने विवाह के वादे पर संबंध स्थापित किया था। अतः बलात्कार का प्रकरण बनता है और वह भी एक बालिका के बलात्कार का।

अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था। जहां तक अपीलकर्ता के पिता, माता और चाचा का संबंध है, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत कार्यवाही निरस्त कर दी थी। किन्तु वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखी गई। अब अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए आया है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही भी निरस्त किए जाने योग्य है। राज्य तथा शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने कार्यवाही निरस्त किए जाने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है।

हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने 'बलात्कार' की परिभाषा पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि नाबालिग द्वारा दी गई सहमति कोई सहमति नहीं है और यह फिर भी बलात्कार होगा। हमारे सुविचारित मत में, जब अभियोजिका नाबालिग थी, तब अपीलकर्ता द्वारा किए गए बलात्कार के संबंध में बिल्कुल कोई साक्ष्य नहीं है और निश्चित रूप से अभियोजन के पास कोई फॉरेंसिक साक्ष्य भी नहीं है। यह तीन वर्ष से अधिक समय बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाया गया केवल एक आरोप है, ताकि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत यह प्रकरण बनाया जा सके कि तीन वर्ष पूर्व, जब वह नाबालिग थी, ऐसा बलात्कार का कृत्य किया गया था। वह यह भी स्पष्ट रूप से कहती है कि उसने इस कृत्य के लिए सहमति दी थी, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा उससे विवाह करने का वादा किया गया था। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि विवाह का वादा और उसके पश्चात्



दोनों के बीच सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध बलात्कार के समान नहीं होंगे और इसके कारण भी बताए गए हैं (देखें: पृथ्वीराजन बनाम राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 696, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 एससीसी 608, महेश्वर टिग्गा बनाम झारखण्ड राज्य, (2020) 10 एससीसी 108)।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियोजन के पास उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ लंबा विलंब स्वयं यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज वर्तमान आपराधिक कार्यवाही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तथा उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता के मामले में भी अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए था, जैसा कि उसने शेष अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त करते समय किया था। इन परिस्थितियों में, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त करते हैं, क्योंकि ये विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। लंबित अंतरवर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण किया जाता है।"

19- अतः उपर्युक्त निर्णयों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यदि पक्षकार लंबे समय से और निरंतर सहमति से शारीरिक संबंध में थे, जिसमें प्रारंभ से धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं था, तो ऐसा संबंध बलात्कार के समान नहीं होगा।

20- इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में प्रकरणों में देखा है कि एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, जिसमें लंबे समय से चले आ रहे सहमति वाले संबंधों में कटुता उत्पन्न होने के पश्चात् उन्हें आपराधिक कानून का सहारा लेकर अपराध का रूप देने का प्रयास किया गया है।

21- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों के अंतर्गत पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण बनता है।

22- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i)- उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक- **फरहान खान** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;

(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना संचालित करने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत किया जा सके; और

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

23- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

4 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला